कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक 1819 /अजिंद /2020 भोपाल,दिनांक 23/ 07 / 2020

/ /आदेश/ /

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार भोपाल जिले में कोरोना के लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है,तथा सम्पूर्ण भारत में भी उक्त वायरस का प्रकोप जारी है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टि से मैं अविनाश लवानिया, जिला मजिस्ट्रेट भोपाल एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहित 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में दिनॉक 24.07.2020 को रात्रि 08. 00 बजे से दिनॉक 04.08.2020 को प्रातः 05.00 बजे तक की अवधि के लिए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ –

1– जिले की राजस्व सीमा में <u>टोटल लॉकडाउन</u> घोषित किया जाता है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

2 सामान्यतः जिले के अंदर आवागमन एवं जिले में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

3– **<u>समस्त कार्यालय</u>** (जो इस आदेश से विशेष रुप से मुक्त किया गया हो को छोड़कर) एवं समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे ।

4– **<u>परिवहन सेवाएं</u>** जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, ई रिक्शा आदि शामिल है, का संचालन बंद रहेंगा ।

5– **<u>सभी स्कूल, कालेज</u>**, शिक्षण, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेगें।

6– **<u>समस्त सिनेमा हाल, जिम्नेशियम</u>**, स्वीमिंग पूल,पार्क, बार, आडीटोरियम, एसेम्बली हॉल बंद रहेगें।

7– समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, **<u>समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े</u>** प्रतिबंधित रहेगें।

8– **<u>समस्त होटल, रेस्टोरेंट</u>**, शॉपिंग माल आदि पूर्णतः बंद रहेंगे ।

9– शहरी क्षेत्र में **<u>निर्माण गतिविधियॉ</u>** (केवल मूल स्थान पर जहॉ श्रमिक साईट पर उपलब्ध है और किसी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नही है को छोडकर) प्रतिबंधित रहेंगी । ग्रामीण क्षेत्रों में निमार्ण गतिविधियों की अनुमति रहेगी।

10– समस्त **<u>धार्मिक स्थल</u>** बंद रहेंगे।

11– लोगो को सूचित किया जाता है कि वे घर पर ही रहें और सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिए जो इस आदेश में उल्लेखित है, घर के निकटतम सेवा प्रदाता तक ही जा सकते है परंतु सोशल डिस्टेंसिग के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

12– सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में कन्टेनमेंट जोन छोडकर शिथिल रहेंगें :–

13– अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग/कार्यालय यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विघुत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेय जल प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया, टेलिकॉम इंटरनेट पोस्टल सेवाएँ, कार्यालयों के लेखा शाखा (भुगतान, वेतन, मानदेय, आदि हेतु) ए.टी.एम. सेवाऐं आदि कार्यालय इस आदेश से मुक्त रहेंगे। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय 30 प्रतिशत स्टॉफ के साथ खुलेंगे । शेष शासकीय कार्यालयों को स्कैलिटल स्टॉफ (10 प्रतिशत क्षमता) के साथ संचालन की अनुमति रहेगी। राज्यस्तरीय कार्यालय यथा मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंधान्चल भवन में स्थित कार्यालयों का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित नियमों के अनुरूप होगा ।

14– इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई–डी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

15– राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे से व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन/परिवहन लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य एवं एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन से अपने गन्तव्य स्थल तक लोगों का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

16– इंडस्ट्री के संचालन संबंधी गतिविधियाँ एवं परिवहन (उदाहरणतः मण्डीदीप एवं पीलूखेडी में कार्यरत लेबर व कर्मचारी का आवागमन) एवं ई–कामर्स गतिविधियॉ इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/पास की आवश्यकता नही होगी। संबंधितो के लिए वैध आई0डी0/प्रमाण रखना अनिवार्य है।

17– आम नागरिक को सिर्फ निकटतम दूध और दवाई दुकान तक स्वयं/अकेले जाने हेतु अनुमति रहेगी। मेडिकल एमरजेंन्सी हेतु आवागमन एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेगें।

18– नगर निगम द्वारा बेघर/बेसहारा लोगो हेतु खाना वितरण की व्यवस्था की जावेगी।

19– सांची पार्लर में किराना, खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय करने की अनुमति रहेगी।

20– सब्जी एवं फल की आपूर्ति जिला प्रशासन के निर्देशो के अनुरूप सुनिश्चित की जावेगी।

21– पी.डी.एस.दुकान को सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड–19 रोकथाम हेतु सावधानियॉ सुनिश्चित करते हुए टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगो को प्रतिदिन राशन वितरण करने हेतु अनुमति रहेगी। जोनवार नियुक्त नोडल अधिकारी इस प्रणाली को व्यवस्थित बनाने हेतु जिला खाद्य अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे ।

22– पशुओं और पक्षियों को खाना/भूसा वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्तियों को अनुमति रहेगी।

23– <u>पेट्रोल पम्प एवं एल.पी.जी.</u> गैस कम्पनी यथा इण्डेन, भारत, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के बकानिया डिपो से गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति संबंधित समस्त सेवायें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

24– घर–घर जाकर दूध बांटने वाले **<u>दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर</u>** प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगें।

25– यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति को अकेले/स्वंय अत्यावश्यक सेवाऐं या वस्तुओं की पूर्ति/खरीदी के लिए निकटतम दुकान/सेवाप्रदाता तक पैदल अथवा वाहन से जाने हेतु **<u>किसी भी पास की आवश्यकता नही होगी</u>**। पूछताछ करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा इस विषय हेतु संतोषजनक उत्तर देने पर कोई आगामी कार्यवाही किया जाना आवश्यक नही होगा।

26– समस्त वस्तुओं का **<u>परिवहन करने वाले वाहनों</u>** का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा।

27– कोई अत्यावश्यक सेवायें, वस्तुऐ एवं संस्थाएं जो शासन द्वारा या इस कार्यालय के आदेश द्वारा विशेष रुप से सूचित की जाती हो वे भी इस आदेश से मुक्त रहेंगी।

28– समस्त संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय दिशा निर्देश एवं राज्य शासन के दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

29– **<u>इस आदेश में मुक्त की गई गतिविधियॉ एवं संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/पास की आवश्यकता नही है। अपने साथ वैध आई0डी0/साक्ष्य रखना अनिवार्य है।</u>**

उपरोक्त सभी स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिग हेतु गोला कम से कम 06–06 फीट की दूरी बनाकर भीड नियंत्रण एवं कोविड–19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं अनिवार्यतः सुनिशिचित करनी होगी । इस हेतु संबंधित दुकान/संस्था के प्रभारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

समस्त एस0डी0एम0/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी/वार्ड वार गठित एडमिनिस्ट्रेटिव मोबाईल यूनिट/रेपिड रिसपोन्स टीम, सोशल डिस्टेसिंग प्रणाली को दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत् निगरानी रखेगें एवं पालन न करने पर संबंधितों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 23.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(अविनाश लवानिया)
जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल

क्रमांक 1820/अजिंद/2020 भोपाल, दिनांक 23/07/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1– अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय,भोपाल

2– प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3– आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल।

4– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल।

5– उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज, भोपाल।

6– आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल।

7– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एडीएम/समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।

8– समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/ समस्त थाना प्रभारी भोपाल।

09– केन्द्र निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।

10– उप संचालक, सीाागीय जनसंपर्क भोपाल की ओर सूचनार्थ।

11– प्रभारी अधिकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहाँगीराबाद भोपाल।

(अविनाश लवानिया)
जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल